नैमितिक श्रमिक, एवजी एवं बंगला चपरासी नैमितिक श्रमिक

(Casual Labour Sub. Bungalow Peon)

(Para 2001 to 2007 IREM-II) (मास्टर परिपत्र संख्या 48)

परिभाषा : नैमितिक श्रमिक ऐसे श्रमिक के सन्दर्भ में है, जिसका रोजगार मौसमी, सविरामी अथवा कुछ समय के लिये विस्तारित है। इस प्रकार के श्रमिक सामान्यतया नजदीकी उपलब्ध स्त्रोतों से भर्ती किये जाते हैं, नैमितिक श्रमिकों पर अस्थायी /स्थायी रेल कर्मियों की सेवा शर्ते लागू नहीं होती है।

रेलवे में नैमितिक श्रमिकों का नियोजन :

नैमितिक श्रमिक (चालू लाईन)

नैमितिक श्रमिक प्राथमिक तौर पर नियमित कर्मचारियों को मौसमी और अलग कार्यों के लिये जो रेलवे प्रणाली के दैनिक कामकाज से उत्पन्न होते हैं ऐसे कार्यों में सहायता देने के लिये नियोजित किये जाते हैं। इन कार्यों में सामग्री का लदान–उतराई, विशेष मरम्मत, रेल पथ और अन्य ढाँचों का अनुरक्षण, गर्मी के मौसम में पीने के पानी की आपूर्ति, रेल पथ की रात्रिकालीन गश्त आदि कार्यों में नियोजित श्रमिक शामिल है।

नैमितिक श्रमिक (परियोजना) : (RBE No. : 330/85)

रेलवे में नैमितिक श्रमिक रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिये भी नियोजित किये जाते हैं। ''परियोजना'' का अर्थः– नई लाइनें, मुख्य पुल, उखाड़ी पुल, उखाड़ी लाईन को फिर से बिछाना तथा चालू लाईन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे, दोहरीकरण, गुफाओं की चौड़ाई, रूट रिले अंतपर्शिन इत्यादि का निर्माण कार्य शामिल है, जो एक निश्चित समयावधि में पूरे करने होते हैं।

कुशल श्रेणियों में नैमितिक श्रमिकों का नियोजन : (RBE No. : 339/85)

सामान्यतः नैमितिक श्रमिकों को बिना व्यवसाय परीक्षा के कुशल श्रेणियों में नियुक्त नहीं करना चाहिये, ओपन लाईन में कुशल श्रेणियों में नैमितिक श्रमिकों की माँग को पूरा करने के लिये एक पेनल (नामिका) बनाना चाहिये। यदि कुशल श्रेणियों की नामिका में नियुक्ति हेतु कोई भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अर्द्ध कुशल व कुशल श्रेणियों के लिये नैमितिक श्रमिकों को लगाया जा सकता है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अर्द्ध कुशल /कुशल कोटियों का समय रहते निर्णय के लिये उनके अस्थायी ओहदा प्राप्त करने से पूर्व उनकी उपयुक्तता को समायोजित कर लिया जाना चाहिये। वर्कचार्ज संगठन में नियोजित नैमितिक श्रमिक नियमित विभागीय उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण उच्च कुशल, अर्द्ध कुशल श्रमिक के रूप में पदोन्नत होकर लम्बे समय से लगातार नैमितिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। उसे कुशल ग्रेड की विभागीय पदोन्नति के 25% कोटे की नियमित रिक्तियों पर जो कि अकुशल अर्द्धकुशल तक के लिये आरक्षित है पर सीधे ही समायोजित किया जा सकता है। इस हेतु उसे आवश्यक व्यवसाय परीक्षा पास करनी होगी। इस प्रकार नैमितिक श्रमिकों के समायोजन हेतु अस्थायी पदों का सृजन नहीं किया जाना चाहिये।

नैमितिक श्रमिकों का समायोजन करते समय समूह–घ के लिये निर्धारित अनु.जाति /जन जाति /पिछड़ी जाति /भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण का पालन किया जाना चाहिये। नैमितिक श्रमिकों को 60 वर्ष से अधिक की आयु तक सेवा में नियोजित /रोके नहीं रखा जा सकता है।

चालू रजिस्टर में दर्ज नैमितिक श्रमिकों का पुनर्नियोजन केवल महाप्रबन्धक के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। (RBE No. : 188/90)

नैमितिक श्रमिकों के पदनाम : (RBE No. : 116/95)

i. ओ सी एल (ओपन लाईन केजुअल लेबर –अनस्किल्ड)
ii. ओ सी एल (एस) (ओपन लाईन केजुअल लेबर –स्किल्ड)
iii. पी सी एल (प्रोजेक्ट केजुअल लेबर –अनस्किल्ड)
iv. पी सी एल (एस) (प्रोजेक्ट केजुअल लेबर –स्किल्ड)

नैमितिक श्रमिकों को निम्न कार्यों में नहीं लगाना चाहिये :

i. वैगनों के निर्माण कार्य एवं नियमित प्रकृति के अन्य समान कार्यों के लिये।
ii. मौसमी कार्यों को छोड़कर सिविल इंजीनियरिंग सिगनल और पुल अनुरक्षण के लिये।
iii. ट्रोलीमेन, चपरासी
iv. प्रिण्टिंग प्रेस में
v. आर्टीजन श्रेणी को छोड़कर नियमित रिक्तियों पर

नैमितिक श्रमिकों के नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी :

i. दिनांक 01.08.1978 से पूर्व कोई भी वरिष्ठ अधीनस्थ उसके अधीन स्वीकृत मौसमी कार्यों के लिये किसी भी नैमितिक श्रमिक के नियोजन हेतु सक्षम थे।
ii. दिनांक 01.08.1978 को या उसके बाद किन्तु 01.01.1981 से पूर्व मण्डल रेल प्रबन्धक अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी मौसमी कार्य के विरूद्ध नैमितिक श्रमिकों के नियोजन हेतु सक्षम थे।
iii. दिनांक 01.01.1981 को या उसके बाद से अभी तक केवल क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक ही मौसम की माँग के अनुसार नये चेहरों को नैमितिक श्रमिक के रूप में नियोजन हेतु सक्षम हैं।

अस्थायी ओहदे के लिये नैमितिक श्रमिकों की हकदारी : (Para 179 (xiii) (b) IREM-I)

ओपन लाईन के नैमितिक श्रमिकों द्वारा 120 दिन तथा परियोजना नैमितिक श्रमिकों द्वारा 360 दिनों की लगातार बिना व्यवधान सेवा पूर्ण करने पर अस्थायी ओहदे के लिये हकदार होगें। परियोजना नैमितिक श्रमिक को 180 दिन के लगातार रोजगार पूर्ण करने पर मासिक दर श्रमिक के रूप में माना जायेगा तथा उसे वेतनमान के न्यूनतम वेतन की दर से समेकित वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये। जो न्यूनतम वेतन +मंहगाई भत्ता के बराबर हो, यद्यपि वेतन वृद्धि लाभ के बिना हो।

नैमितिक श्रमिक की अस्थायी ओहदे में विस्तार हेतु बिना व्यवधान की सेवा के रूप में गिनी जाने वाली अवधियाँः निम्नलिखित अनुपस्थितियों को 120 अथवा 180 अथवा 360 दिन के लगातार रोजगार की अवधियों के निर्धारण हेतु सेवा में व्यवधान के रूप में नहीं माना जायेगा।

i. कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन ड्यूटी के दौरान श्रमिक के घायल हो जाने पर चिकित्सा उपचार के दौरान अनुपस्थिति की अवधि।
ii. वे दिन जिनमें संगठन /संस्थान ने मजदूरों का नियोजन बंद रखा।
iii. आधे दिन की अनुपस्थिति को आधे दिन के रूप में गिना जायेगा।
iv. ओपन लाईन नैमितिक श्रमिकों के लिये 03 दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति सहित 20 दिन की अधिकृत अनुपस्थिति तथा परियोजना नैमितिक श्रमिक के लिये 30 दिन की अनुपस्थिति को (रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)II/76/सीएल/116 दि. 21.03.79 एवं ई/(एनजी)II/79/सीएल/26 दि. 28.03.79)
v. अधिकृत अनुपस्थिति में पर्यवेक्षक पदाधिकारी द्वारा विशेष अवधि के लिये काम से दूर रहने के लिए दी गई स्वीकृति को माना गया है।
vi. महिला नैमितिक श्रमिकों के लिये क्रमशः ओपन लाईन तथा परियोजना नैमितिक श्रमिकों के मामले में क्रमश (20 व 30 दिन के अलावा) मातृत्व उद्धेश्य हेतु चार सप्ताह की अवधि।
vii. दिनांक 21.10.1980 से चालू कार्य पूर्ण होने या आगे उत्पादक कार्य उपलब्ध न होने पर जब नैमितिक श्रमिक की मजदूरी बन्द हो जाती है तथा आगे कार्य के उपलब्ध होने पर रोजगार में लगाया जाता है तो 120, 180 व 360 दिन की लगातार सेवा की गणना हेतु इस प्रकार का सेवा में अन्तराल को व्यवधान नहीं माना जायेगा।
viii. एच.ओ.ई.आर. और एम.डब्ल्यू. अधिनियम के अधीन विश्राम की अवधि को 20 दिन की अधिकृत अनुपस्थिति के अधीन अनुपस्थिति के रूप में नहीं गिना जायेगा।

अस्थायी ओहदे में विस्तार हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं प्रक्रिया : नैमितिक श्रमिक का नियोजन करने के लिये महाप्रबन्धक से प्रारम्भिक स्वीकृति लेने के बाद कम से कम कनिष्ठ ग्रेड का अधिकारी नैमितिक श्रमिकों की अस्थायी ओहदे को विस्तारित करने के लिये सक्षम है। श्रमिक का सेवा के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिये एक रूपया जमा कराने के बाद मशीन नम्बर वाला नैमितिक श्रमिक कार्ड दिया जायेगा, (डुप्लीकेट कार्ड) उचित तथा पर्याप्त कारण बताने पर दो रूपये जमा कराने पर उपलब्ध करवाया जाता है।

सक्षम /सम्बन्धित प्राधिकारी के सामने जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण–पत्र तथा पूर्व चरित्र का प्रमाण–पत्र इन्हें जारी करने वाले /सम्बन्धित प्राधिकारी से सत्यापन के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

उन सभी नैमितिक श्रमिकों का जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया है। सेवा पंजिका तथा छुट्टी खाता खोला जाना चाहिये। अस्थायी ओहदा के विस्तार से पूर्व श्रमिक का चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा। प्रत्येक नैमितिक श्रमिक के कार्य दिवस तथा कार्यक्षमता की प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी तथा उस पर नियंत्रक सहायक अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर किये जायेगें।

सेवा समाप्ति की सूचना : ऐसे मामलें को छोड़कर जब किसी संवैधानिक बाध्यता के अधीन नोटिस देना आवश्यक हो। नैमितिक श्रमिक की सेवा समाप्ति के लिये नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिकों को नोटिस की अवधि अस्थायी रेल सेवकों पर लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

अस्थायी ओहदा /एवजी नैमितिक श्रमिकों को छटनी के बदले में एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देना आवश्यक है।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया : प्रत्येक वरिष्ठता इकाई में एक चालू नैमितिक श्रमिक रजिस्टर रखा जायेगा। वरिष्ठता इकाई में पुनर्नियोजन ''अंत में जाना और पहले आना'' (Last go first come) के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा। नियोजन छटनी और पुनर्नियोजन के उद्देश्य के लिए वरिष्ठता इकाई और चालू नैमितिक मजदूर रजिस्टर वरिष्ठ अधीनस्थवार रखा जायेगा और परियोजना नैमितिक मजदूरों के लिए मण्डल और श्रेणीवार रहेगी। स्क्रीनिंग मण्डल आधार पर सम्पूर्ण विभाग के लिये अलग से विभाग और क्षेणीवार आयोजित की जायेगी में वर्तमान तथा अगले एक वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों को लिया जायेगा। इस प्रकार निकाली गई रिक्तियों की संख्या के विरूद्ध उम्मीदवारों की संख्या 25% अधिक होगी। यदि 120 दिन की लगातार सेवा वाले नैमितिक श्रमिक उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे नैमितिक श्रमिकों को भी शामिल किया जा सकता है जिन्होंने 120 दिन की सेवा, सेवा में व्यवधान के साथ पूरी की है। [RBd.'s Lt. No.: E/(NG)II/76/CL/67 dt. 01.12.77]

स्क्रीनिंग समिति के सदस्य के रूप में एक अनु.जाति/जन जाति/अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को भी नामित किया जायेगा। [RBd.'s Lt. No.: 80E/(SCT)15/58/Part-I dt. 02.09.98]

अनु.जाति/जन जाति/अ.पि.व./भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को उनके कोटा के अनुसार आवश्यक सीटें दी जायेगी। ऐसे नैमितिक श्रमिक जिन्हें समय–समय पर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के नियोजित किया है, पर विचार नहीं किया जायेगा, केवल कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लेने के मामले को छोड़कर /ऐसे नैमितिक श्रमिक जो पूर्व में दो बार आयोजित स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हुये उन्हें नहीं बुलाया जायेगा। नैमितिक श्रमिक जो सहकारी समितियों में कार्यरत है उन्हें भी योग्य नैमितिक श्रमिकों तथ एवजियों पर विचार करने के बाद उनको समूह–''घ'' में समाहित करने पर विचार किया जा सकता है। नैमितिक श्रमिक जिन्हें गर्मी के मौसम में तथा रेल भर्ती बोर्ड कार्यालयों में नियोजित किया गया है, उन्हें भी उनकी वरिष्ठता के आधार पर नियमित समाह्न के लिये विचार किया जा सकता है। स्क्रीनिंग के बाद नैमितिक श्रमिकों के लिये तैयार पैनल की वैद्यता तब तक बनी रहेगी जब तक कि पेनल में उपलब्ध अंतिम उम्मीदवार समाहित नहीं हो जाता है।

नैमितिक श्रमिक जो कि सेवारात व्यक्ति के रूप में पेनल पर है, उन्हें समूह–घ के पदों पर नियमन किया जा सकता है,के नैमितिक श्रमिकों की वरिष्ठता विभागवार रहेगी और यदि किसी उम्मीदवार की दूसरी इकाई में बदला /भेजा जाता है तो वह नई यूनिट में कनिष्ठ रेंक पर रहेगा। उन परियोजना तथा ओपन लाईन श्रमिकों का जिन्होंने 01.01.1981 से पूर्व नैमितिक श्रमिक के रूप में काम किया था। या उनका जिन्हें आगे काम न होने के कारण हटाया गया था या जिन्होंने 31.03.1987 तक पुनर्नियोजन के लिये लिखित अभ्यावेदन दिया उनका नाम एक चालू रजिस्टर में नैमितिक श्रमिक के रूप में अंकित किया जायेगा। (RBE No. : 39, 43, 57 & 58/87)

नैमितिक श्रमिकों की हकदारी एवं सूविधाएँ : विभिन्न अधिनियमों जैसे :– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम इत्यादि में देय वैद्यानिक सुविधाएँ एवं हकदारी को छोड़कर नैमितिक श्रमिक किसी सुविधा एवं हकदारी के योग्य नहीं होगें। नैमितिक श्रमिक निम्न के लिये हकदार होगें:–

i. समूह घ में नियमित भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा नये नैमितिक श्रमिकों के नियोजन पर भी लागू होगी और अनु.जाति/अनु.जन जाति/पिछड़ा वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी। (अनु.जाति /अनु.जन जाति को 05 वर्ष व अ.पि.वर्ग को 03 वर्ष)

ii. नैमितिक श्रमिक जो अस्थायी ओहदा प्राप्त है, उनके द्वारा नैमितिक /एवजी सेवा में विस्तार हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट के हकदार है, किन्तु ऊपरी आयु सीमा में छूट सामान्य श्रेणी के लिये 40 वर्ष की आयु तक, अ.पि.वर्ग के लिये 43 वर्ष तथा अनु.जाति /अनु.जन जाति के लिये 45 वर्ष तक रहेगी।

सभी नैमितिक श्रमिक/एवजी जो समूह ''ग'' वेतनमान में हैं वे रेलवे भर्ती बोर्ड /रेलवे में किसी पद पर उनकी योग्यता के अनुसार आयोजित किसी भी परीक्षा में बिना आयु सीमा की बाध्यता के शामिल हो सकते हैं।

मजदूरी /वेतनः रेलवे में नैमितिक श्रमिक जो निर्माण अथवा सड़कों की मरम्मत अथवा रेल पथ पुलों सहित भवन निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने, भवनों के अनुरक्षण, रेलवे माल गोदामों में लदान /उतराई, एश–पिट की सफाई के कार्यों में नियोजित किये जाते हैं, वे मजदूरी के भुगतान हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय) द्वारा अधिशासित होगें तथा उन्हें निम्नानुसार भुगतान किया जायेगाः–

i स्थानीय प्राधिकरण अथवा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक दर।

ii यदि ऐसी दर उपलब्ध नहीं हो तो रेलवे की समान श्रेणियों को देय वेतनमान के न्यूनतम वेतन व मंहगाई भत्ते का 1/30 वाँ भाग दैनिक मजदूरी के रूप में होगा।

iii यदि उपर्युक्त निर्धारित दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय) के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम हो तो अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरें।

वे नैमितिक श्रमिक जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय) द्वारा अधिशासित नहीं है। उन्हें दैनिक दर पर भुगतान किया जायेगा। तथा यह दर स्थानीय प्राधिकारियों अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निश्चित की जायेगी। जहाँ दो अलग दरें प्रचलित है एक नगरपालिका द्वारा तथा एक स्थानीय प्रशासन जैसेः– जिला मजिस्ट्रेट, राज्य के जिला नियंत्रक के द्वारा तो दोनों में से अधिक वाली दर को लागू किया जाना चाहिये। ओपन लाईन नैमितिक श्रमिक के मामले में 120 दिन की लगातार सेवा तथा परियोजना नैमितिक श्रमिक के मामले में 180 दिन की सेवा होने पर भुगतान दैनिक दर के आधार पर किया जाना चाहिये। परियोजना नैमितिक श्रमिक 180 दिन के लगातार रोजगार पूर्ण करने के बाद उचित वेतनमान के न्यूनतम वेतन + मंहगाई भत्ते का 1/30 लेने का हकदार होगा। एक नैमितिक श्रमिक जिसने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें नियमित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा हो उनके पुनर्नियोजन के समय उन्हें हटाने के समय अन्तिम प्राप्त वेतन का भुगतान किया जायेगा। नैतितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है उनके द्वारा 12 माह की सेवा पूर्ण करने के बाद वे एक वेतन वृद्धि के हकदार होगें।

अस्थायी ओहदा प्राप्त नैतितिक श्रमिक जिनका समूह ''घ'' के पद पर नियमित समायोजन हो गया हो उनका वेतन नियतिकरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

जो समान ग्रेड में वेतन आहरित कर रहे हैं उनका वेतन नियतिकरण उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा। जो अर्द्धकुशल ग्रेडों में कार्य कर रहे हैं किन्तु समूह ''घ'' अकुशल श्रेणियों में समायोजित कर लिये गये है। उनका वेतन नियतिकरण नैतितिक श्रमिक के रूप में उच्च या समान ग्रेड में पहले की गई सेवा के आधार पर किया जायेगा।

नियमित रोजगार में समायोजन के लिये नैतितिक श्रमिक सेवा के अस्थायी ओहदें की 50 प्रतिशत सेवा को एम. ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिये 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के रूप में गिना जायेगा। (RBE No.: 215 /09)

उत्पादकता सम्बद्ध बोनसः नैमितिक श्रमिक जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया है और परियोजना नैतितिक श्रमिक जिन्होंने 180 दिवस की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है वे उत्पादकता सम्बद्ध बोनस पाने के हकदार होगें। [RBd.'s Lt. No.: E(P&A)II/79/PLB/1 dt. 24.01.80]

यद्यपि लागू आदेशों के अनुसार नैतितिक श्रमिक उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के हकदार है। किन्तु यदि वे ड्यूटी के दौदान घायल होकर बीमारी सूची में रहते हैं तथा कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत यदि आधे माह का वेतन ले रहे है तो उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के हकदार नहीं होगें।

[RBd.'s Lt. No.: E(P&A) II /82/1/PLB-6 dt. 10.11.84]

पास और पी.टी.ओ.: अस्थाई ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक भी पास व पीटीओ की सुविधा के हकदार होगें। अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा की गई लगातार सेवा को पोस्ट रिटायरमेण्ट कम्प्लीमेण्ट्री पास के उद्धेश्य से गिना जायेगा। [RBd.'s Lt. No.: E(W)2004/PS 5-1/15 dt. 26.05.2006]

सामान्यतया नैमितिक श्रमिक स्थानीय तौर पर भर्ती किये जाते हैं। लेकिन परिस्थितिवश जब श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण स्थानीय भर्ती सम्भव नहीं हो पाने पर श्रमिकों की भर्ती कार्यस्थल से अधिक दूरी से की जाती है। ऐसी भर्ती होने पर केवल स्वयं श्रमिक के लिये (परिवार के सदस्यों के लिये नहीं) पास जारी किये जाते हैं। तथा उनको हटाने के समय भी पास जारी किये जाते हैं।

यदि नैमितिक श्रमिक का नियमित पद पर समायोजन नहीं किया जाता है तो वे विधवा /विधुर पास की सुविधा के हकदार नहीं होगें। नैमितिक श्रमिक उनके समायोजन होने तक 04 के बजाय 06 सैट पीटीओ की हकदार होगें। (RBE No. : 308 /89)

अवकाश : राष्ट्रीय अवकाशों सहित 09 अवकाशों के हकदार होगें। ओपन लाईन नैमितिक श्रमिक /परियोजना नैमितिक श्रमिक जब वे राष्ट्रीय अवकाश के दिन से पिछले दिन से सेवा में हो तथा राष्ट्रीय अवकाश के अगले दिन भी सेवा में हो तो, उस दिन सेवा में रहने पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ते के हकदार होगें। राष्ट्रीय अवकाश को भुगतान अवकाश के रूप में माना जायेगा। लोक सभा /विधान सभा के निर्वाचन के समय मतदान के दिन नैमितिक श्रमिक को वोट देने की सुविधा देय होगी, किन्तु उन्हें अवकाश भत्ता नहीं दिया जायेगा। नैमितिक श्रमिक (बिना अस्थायी ओहदा) केवल 03 दिन के राष्ट्रीय अवकाश के हकदार होगें। (IREM-I Para 1601)

छुटिट्याँ : ओपन लाईन नैमितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है और परियोजना नैमितिक श्रमिक 180 दिन की नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद एक कलेण्डर वर्ष में 10 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें। अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद नैमितिक श्रमिक द्वारा अर्जित छुट्टियाँ तथा जो उसके खाते में जमा (समायोजन की तिथि को) छुट्टियों को नये पद पर आगे जमा करते हुए जमा किया जायेगा। अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक को अस्पताल छुट्टी के मामलें में अस्थाई कर्मचारी माना जायेगा। महिला नैमितिक श्रमिक (अस्थायी ओहदे के बिना) मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं होगी। किन्तु इस लेखे पर चार सप्ताह तक उनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति को अनुपस्थिति अवधियों के अलावा अन्य सामान्य देय अधिकृत अनुपस्थिति माना जायेगा। महिला नैमितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है, वे अस्थायी महिला रेल कर्मचारियों को देय मातृत्व अवकाश के समान ही मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। (RBE No. : 119 /91)

अग्रिम (पेशगी) : नैमितिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी ओहदा प्राप्त है, उन्हें तीन वर्ष की लगतार सेवा करने के बाद अस्थायी रेल कर्मचारी के समान माना जायेगा तथा वे त्यौहार और बाढ़ अग्रिम लेने के हकदार होगें।

भत्ते : अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद नैमितिक श्रमिक को मकान किराया भत्ता तथा परिवहन भत्ता दिया जायेगा। नैमितिक श्रमिक जिन्हें राष्ट्रीय अवकाश को काम पर लगाने की आवश्यता है वे भी उनके लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद लागू दरों के अनुसार राष्ट्रीय अवकाश भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगें। नैमितिक श्रमिक जिन्हें अपने मुख्यालय से दूसरे स्थान पर जो 08 कि.मी. से अधिक दूरी पर है, ड्यूटी पर भेजा जाता हे तो उन्हें समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार नियमानुसार दैनिक भत्ता दिया जायेगा। नैमितिक श्रमिक जो रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ड्यूटी करते हैं। वे अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार होगें जो रात्रि कार्य के प्रत्येक घण्टे के लिये दैनिक मजदूरी का 2% होगा।

[RBd.'s Lt. No.: E(NG)III/80/CL/18 dt. 09.01.83]

नैमितिक श्रमिक जिन्हें ब्रेक डायन ड्यूटी पर लगाया गया है वे मुफ्त भोजन, मजदूरी की उच्च दर, जो परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जायेगी, देय होगी तथा यात्रा भत्ता + मंहगाई भत्ता यदि नियमों के अधीन नियमित रेल कर्मचारियों को देय है वह भी दिया जायेगा।

चिकित्सा : नैमितिक श्रमिक को अस्थायी ओहदा देने से पूर्व चिकित्सा परीक्षा की शर्त पूरी करना आवश्यक है। जिन्होंने छःवर्ष की सूवा पूर्ण कर ली हो उनकी चिकित्सा परीक्षा में कुछ छूट के मानकों का अनुसरण किया जायें। इस प्रकार के नैमितिक श्रमिक चिकित्सा मानकों में कुछ छूट देने के बावजूद यदि उस विशिष्ट श्रेणी

/पद के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उन्हें निम्न चिकित्सा स्तर के किसी अन्य वैकल्पिक पद पर लगाया जाये। वैकल्पिक पद के लिये उनकी उपयुक्तता का समायोजन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा। अस्थायी ओहदा प्रदान करने से पूर्व नैमितिक श्रमिक को आवश्यक चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी।

[RBd.'s Lt. No.: 77H/5/31 dt. 22.12.77]

अस्थाई ओहदा प्राप्त सभी नैमितिक श्रमिक (ओपन लाईन या परियोजना) नियमित रेल कर्मचारियों की भाँति अर्थात् स्वयं और परिवार के लिये चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होगें। (RBE No.: 111/93)

नैमितिक श्रमिक भी दुर्घटना में घायल होने के मामले में रेलवे अस्पताल में मुफ्त आहार तथा चिकित्सा उपचार के हकदार होगें।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन : नैमितिक श्रमिक जो नियमत वेतनमान में वेतन के हकदार है, वे परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन वेतन वृद्धि प्राप्त करने के (अब परिवार योजना भत्ता) के हकदार होगें। दैनिक दर नैमितिक श्रमिक महिला व पुरूष दोनों ही निम्नलिखित कारणों से अनुपस्थित रहने के दिनों में मजदूरी प्राप्त करने के हकदार होगें।

1. वसेक्टॉमी आपरेशन (Vectomy Operation) – पुरूष (अधिकतम 06 दिनों के लिये)
2. नॉन प्यूरपेराल ट्यूबेक्टॉमी (Non Puerperal Tubectomy) – महिला – अधिकतम 14 दिनों के लिये)
3. आई. यू. डी. लगवाना (Insertion of IUD) – महिला (एक कार्य दिन के लिये)

यह लाभ उनको दिया जायेगा जो (स्ट्रीलाइजेशन /आई.यू.डी. लगवाने से पूर्व) तीन माह से लगातार रोजगार में लगे हुये हैं, तथा इसके बाद भी कम से कम 03 माह तक रोजगार में रहने वाले हों, अनिुपस्थित के दिनों में पूर्ण मजदूरी का दावा किया जा सकता है।

[RBd.'s Lt. No.: 80 (HFW)/7/1 dt. 07.02.1980, 30.12.84, 03.08.85]

अनुशासन एवं अपील नियम : अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद नैमितिक श्रमिक को अस्थायी माना जायेगा तथा वह अस्थाई रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील नियमों के लाभ सहित) को देय परिलाभ व अधिकारों का हकदार होगा।

छंटनी : नैमितिक श्रमिक की छंटनी करते समय सामान्यतया ''अन्तिम आये पहले जाये'' का सिद्धान्त अपनाया जाता है। इस प्रकार छंटनी के समय कनिष्ठ अनुसूचित जाति /अनु. जन जाति उम्मीदवार की सुरक्षा की जाये तब उनके प्रतिनिधित्व (संख्या) में कमी हो। कारण सहित यह सुरक्षा औचित्यपूर्ण होगी तथा इसका रिकार्ड भी रखना होगा, जब किसी कनिष्ठ अनुसूचित जाति /अनु.जन जाति के उम्मीदवारों को वरिष्ठों की छंटनी करते समय प्राथमिकता दी गई हो। [RBd.'s Lt. No.: E (LL) 76/A.T./I.D./1-116 dt. 17.02.78]

आई.डी.अधिनियम के अधीन छंटनी के लिये एक कलेण्डर वर्ष के 240 दिनों को एक वर्ष माना जायेगा।

[RBd.'s Lt. No.: E (WLA) 66 A.T./I.D./1-18, dt. 23.02.82]

सेवानिवृति परिलाभ :

1. अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद कर्मचारी द्वारा की गई आधी सेवा को पेंशनरी हितलाभों के लिये अर्हक सेवा के रूप में गणना की गई। यह लाभ केवल समायोजन के पश्चात ही दिया जायेगा। अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है तथा सेवानिवृत्त हो गये है, वे सेवानिवृत्ति के समय उपादान, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन के हकदार होगें।

2. चूँकि नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान पर आधारित है इसलिये सेवानिवृति लाभों के प्रयोजन के लिये अर्हक सेवा अवधि की प्रांसगिकता समाप्त हो चुकी हैं फलस्वरूप दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद ग्रुप ''डी'' पदों में नैमितिक श्रमिक के विनियमित होने पर उन्हें उनके विनियमितीकरण के बाद सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए नैमितिक श्रमिक सेवा अर्थात् अस्थायी ओहदे के अन्तर्गत की गई सेवा की गणना का कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। (RBE 205/04)

मृत्यु के मामले में : मृत नैमितिक श्रमिक के परिवार के सदस्य उपादान, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन और अनुकम्पा नियोजन के हकदार होगें। अनुकम्पा नियोजन तब भी किया जायेगा जब नैमितिक श्रमिक ड्यूटी पर

हुई दुर्घटना के कारण मृत हो गया हो, बशर्ते की सम्बन्धित नैमितिक श्रमिक, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का हकदारहो।

अन्य : नैमितिक श्रमिक जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा अधिशासित नहीं है वे भी साप्ताहिक विश्राम के दिन भुगतान के हकदार है। नैमितिक श्रमिक जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण की ली हो वे वर्दी की आपूर्ति के हकदार है यदि वे उन श्रेणियों में कार्यरत हैं जिनमें वर्दी की आपूर्ति की जाती है और 31.12.2003 तक भविष्य निधि में इसका अंशदान दिया हो।

नई पेंशन योजना में सामान्य भविष्य निधि /राज्य रेल भविष्य निधि का प्रावधान नहीं हैं, इसलिये अस्थायी ओहदे वाले मौजूदा नैमितिक श्रमिकों को दिनांक 01.01.2004 से आगे इनकी राज्य रेल भविष्य निधि में कोई कटौती नहीं की जायेगी। भविष्य निधि खाते में जमा राशि, जिसमें 01.01.2004 के बाद की भी कटोती शामिल हैं कि उन्हें ब्याज सहित भुगतान कर दिया जायें। (RBE 205/04)

अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक, एवजी और अस्थायी ओहदा प्राप्त बंगला चपरासी /खलासी निम्नलिखित के सदस्य नहीं बन सकतेः–

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS)
2. नई पेंशन प्रणाली (NPS) (RBE 43/04)

अस्थाई ओहदा प्राप्त नैमितिक श्रमिक /एवजी /बंगला चपरासी /खलासी को सेवानिवृत्ति पर किसी प्रकार की पेंशन व मृत्यु के मामले में परिवार को परिवार पेंशन देय नहीं है। यह किसी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी भी नहीं बनाये जा सकते हैं।

एवजी

(Para 1512 to 1515 – IREM-I) (RBE No.:137/2010)

2. परिभाषा : एवजी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय रेल स्थापना पर मान्य नियमित वेतनमान में भर्ती पर उन रिक्त स्थानों की एवज में लगाये जाते हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है तथा कार्य की आवश्यकता के अनुसार उन पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता हे क्योंकि इन्हें रिक्त रखने से रेल सेवायें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती ळें

3. ''एवजी'' को नियोजित की जाने वाली परिस्थितियाँः पूर्ववृति समूह ''घ'' में एवजी के नियोजन हेतु महाप्रबन्धक का पूर्व अनुमोदन जब कि समूह ''ग'' में नियोजन हेतु रेलवे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में ही नियोजित किया जायेगाः–

i. पदों के भरने की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है और,
ii. पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे रल सेवायें बुरी तरह प्रभावित होती है

3.2 पूर्ववृति समूह ''घ'' (पे बैंड–1) (ग्रेड पे रू 1800) के पद पर वर्ष में अधिकतम निम्नलिखित संख्या में एवजी को नियोजित किया जा सकता हैः–

i. वित्त वर्ष की एक अप्रैल को गणना में ली गयी रिक्तियों का अधिकतम 10% तक को उस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित कोटियों में नियोजित किया जा सकता हैः–
   a संरक्षा :
   b ट्रेन परिचालन से सम्बन्धित (परिचालन, याँत्रिक, अभियांत्रिक, विद्युत तथा संकेत एवं दूर संचार विभाग के चालू लाईन के स्टॉफ)
ii. उक्त को छोड़कर अन्य सभी कोटियों में रिक्तियों के अधिकतम 2% तक एवजी को नियोजित किया जा सकता है।
iii. यदि महाप्रबन्धक द्वारा कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेन्टिसों की एवजी के रूप में नियुक्ति की जाती है तो व उपर्युक्त दोनों सीमाओं से बाहर मानी जायेगी। (RBE No.: 183/2010)
iv. महाप्रबन्धक द्वारा निर्णित, किसी विकलांग व्यक्ति को भी एवजी के रूप में नियुक्त किया जा सकता हैं। ऐसे एवजी को नियमितिकरण के समय विकलांग हेतु निर्धारित 3% कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। [RBd.'s Lt. No.: E (NG)II/2008/SB/SR/15 Pt.-I dt. 19.01.12 (NWR PS 01/12)]

मुख्य कार्मिक अधिकारी वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही इन 10% व 2% रिक्तियों की गणना करेगें।

3.3 पूर्ववृति समूह ''घ'' में एवजी नियोजित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी

i. विभिन्न स्त्रोतों से महाप्रबन्धक को प्रेषित सभी आवेदन–पत्र महाप्रबन्धक कार्यालय में प्राप्त किये जायेगें।
ii. महाप्रबन्धक द्वारा तीन वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (SAG) अधिकारियों की एक कमेटी का नामांकन किया जायेगा जो कि इन प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन और अपनी सिफारिश देगी जो कि मुख्य कार्मिक अधिकारी के मार्फत् अनुमोदनार्थ महाप्रबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी।
iii. कमेटी द्वारा जिन आवेदकों की सिफारिश की गई है, उनके दस्तावेजों को सत्यापन हेतु कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा।
iv. शैक्षणिक योग्यता /प्रमाण–पत्रों इत्यादि के सत्यापन के पश्चात मण्डल रेल प्रबन्धकों /इकाई प्रमुखों से प्राप्त एवजियों की आवश्यकतानुसार पात्र आवेदकों का मामला मुख्य कार्मिक अधिकारी के माध्यम से महाप्रबन्धक के अनुमोदनार्थ कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
v. सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त उम्मीदवार के विभाग और मण्डल /इकाई नियोजित करने का निर्णय महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।
vi. नियोजन का औपचारिक पत्र मण्डल /इकाई को कार्मिक विभाग द्वारा भेजा जायेगा।
vii. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी /जालसाजी को रोकने हेतु मण्डल /इकाई द्वारा नियोजन हेतु प्राप्त पत्रों का मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालयों से उसका सत्यापन /प्रमाणीकरण करवायेगा व उसके बाद उम्मीदवार को नियोजन पत्र जारी करेगा।
viii. प्राप्त आवेदन, निरस्त किये गये आवेदन इत्यादि का ढंग से रिकार्ड रखा जायेगा। उन आवेदन–पत्रों पर जिन पर कोई विचार नहीं किया जाना है, उन्हें नष्ट करने सम्बन्धी रिकार्ड भी रखा जायेगा।

4. लाभ :

4.1 रिक्त पद की प्रकृति व अवधि को ध्यान रखे बिना, नियुक्त होने वाले एवजी को नियुक्त पद से जुड़े हुये नियमित वेतनमान तथा अनुमेय भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

4.2 एवजी के रूप में चार माह लगातार सेवा के पश्चात अस्थाई ओहदा मिलने पर इन्हें वे सभी अधिकार एवं सुविधाएँ देय होगी जो कि अस्थाई रेल कर्मचारियों को देय है।

4.3 एवजी को चार माह की लगातार सेवा के बाद अस्थाई ओहदा मिल जाने पर वह रेल सेवा में स्वतः समाहन /नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हो जायेगा। यह उसके नियमित पद पर नियुक्ति /समाहन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उसका चयन होने पर निर्भर करेगा।

4.4 चार माह की लगातार सेवा के पश्चात अस्थाई ओहदा मिलने के बाद की पूर्ण सेवा पेंशनरी लाभ हेतु गणना में ली जायेगी जब इन्हें बिना किसी व्यवधान के नियमित सेवा में समाहन कर लिया हो तो।

4.5 एवजी की सेवा का नियमितिकरण करते समय समूह ''घ'' के पद के लिये भर्ती के समय निर्धारित आयु सीमा में छूट इस हद तक दी जा सकती हे जो कि उसके द्वारा एवजी के रूप में की गई लगातार /ब्रोकन सेवा अवधि को शामिल करते हुए सामान्य जाति के उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 वर्ष व अनु.जाति /अनु.जन जाति की 45 वर्ष से अधिक न हो।

4.6 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञाप्ति पदों की भर्ती हेतु एवजी के रूप में की गई लगातार /ब्रोकन सेवा अवधि के साथ सामान्य जाति हेतु अधिकतम 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 43 वर्ष व अनु.जाति /अनु.जन जाति के उममीदवार 45 वर्ष की आयु तक के एवजी आवेदन कर सकते हैं।

4.7 त्यौहार /बाढ़ अग्रिम : जिन एवजी को अस्थाई ओहदा मिल गया है, उन्हें 01 वर्ष व 06 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने तथा दो स्थाई रेलवे सेवकों की जमानत पर ये अग्रिम प्रदान किये जायेगें।

4.8 एवजी, सिर्फ स्वयं के लिए बहिरंग विभाग में चिकित्सा सुविधा हेतु पात्र है। इस हेतु एवजी अपने सेवा कार्ड को अपनी पहचान कार्ड के रूप में उपयोग ले सकता है।

4.9 जब एवजी को नियमित सेवा में समाहन हेतु चयनित कर लिया जाता हे एवं चिकित्सा परीक्षा हेतु भेजा जाता हे तो उनकी चिकित्सा परीक्षा, छूट के स्तर की होनी चाहिये जैसे कि सेवा में पुनः नियोजन के लिये निर्धारित चिकित्सा स्तर की होती है।

5. नियमित सेवा में समाहन हेतु एवजियों की स्क्रीनिंग :

5.1 किसी व्यक्ति द्वारा एवजी के रूप में लगातार लम्बे समय से कार्य करने पर उन्हें नियमित करने हेतु विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उसने कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है) (RBE No.: 182/10)

5.2 अस्थाई ओहदा प्राप्त एवजी को नियमित पदों पर समाहन हेतु एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जायेगी जिसमें उपयुक्त औहदे के कम से कम तीन रेल अधिकारी होगें, इनमें से एस अनु.जाति /अनु.जन जाति समुदाय व एक अल्पसंख्यक समुदाय व एक अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हो। एक सदस्य कार्मिक विभाग से हो, एक सदस्य जिस विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है जिससे तथा एक सदस्य कार्मिक विभाग से अलग विभाग का हो। (RBE 182/10)

i. बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि समूह ''ग'' व पे बेण्ड–I (ग्रेड पे 1800) में एवजी की स्क्रीनिंग हेतु विभिन्न साक्षात्कार viva-voce कमेटियों में महिला सदस्यों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। (RBE 29/12)

5.3 स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा केवल उन्हीं एवजी को नियमित पदों पर समाहन हेतु स्क्रीनिंग /पेनल पर लिया जायेगा जिनका नाम चालू (Current) एवजी रजिस्टर में दर्ज हो।

5.4 एवजी के रूप में नियोजन के समय अनु.जाति /अनु.जन जाति /ओ.बी.सी. को प्रत्येक अलग–अलग कोटि में विभिन्न विभागों में लेते समय निर्धारित आरक्षण प्रतिशत सुनिश्चित किया जाना चाहिये। हालांकि इसके लिए अलग से रोस्टर का रखना जरूरी नहीं है।

5.5 यदि समूह ''घ'' के पद पर सीधी भर्ती में कोई कमी है तो स्क्रीनिंग कमेटी उस कमी को पूरा करेगी।

5.6 स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एवजी को नियमित नियोजन में समाहन हेतु की जाने वाली स्क्रीनिंग उस समय में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सन्दर्भ में की जा सकती है।

5.7 यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एवजी के रूप में लगाते समय वे आयु सीमा के अन्तर्गत ही थे। अतः वास्तविक समाहन के समय इसमें छूट स्वतः ही होगी।

5.8 पुराने मामलों में, जहाँ आयु सीमा को ध्यान में नहीं रखा गया है, वहाँ नियमित समाहन के समय आयु सीमा में छूट हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहियें मु.का.अधि./मं.रे.प्र. इस प्रकार की छूट देने में सक्षम हैं।

5.9 एवजी को नियमित नियोजन के लिये समाहन हेतु पात्र जब ही माना जायेगा जब वे उस पद की निर्धारित पात्रता के मापदण्ड पूर्ण करते हों। शैक्षणिक योग्यता में छूट पुनः प्रशिक्षण देकर की जा सकती है जैसा कि छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन के समय समूह ''घ'' के स्टाफ हेतु लागू किया गया है।

5.10 जब एवजी को स्क्रीनिंग हेतु बुलाया जाता है तो उन्हें उनकी यात्राओं हेतु पास जारी करना होगा तथा यह अवधि ड्यूटी मानी जायेगी।

5.11 एवजी को चार माह की पूर्ण सेवा पर अस्थायी ओहदा प्रदान करने हेतु दो नियोजनों के मध्य के अन्तराल को नजर अन्दाज कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति तिथि :

सेवा पुस्तिका में ''नियुक्ति तिथि'' के कॉलम में एवजी द्वारा चार माह की लगातार सेवा के बाद मिलने वाले अस्थाई ओहदा की तिथि को ''नियुक्ति तिथि'' के रूप में दर्ज किया जायेगा, यदि वह उसके बाद लगातार समाहित हो गया हो। अन्यथा उसके नियमित नियुक्ति /समाहन की तिथि का नियुक्ति तिथि माना जायेगा।

7. सेवा में व्यवधान : नियमित नियोजन पर समाहित होने के लिये चार माह नियमित सेवा निर्धारण हेतु निम्नलिखित मामलों में अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगाः–

i कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एवजी की वह अनुपस्थिति अवधि जिसमें वह कर्त्तव्य के दौरान चोट के कारण चिकित्सा इलाज में रहा।

ii पिछले 06 माह में प्राधिकृत अनुपस्थिति जो कि 20 दिन से अधिक न हो।
   a प्राधिकृत अनुपस्थिति का तात्पर्य यह है कि कार्यालय प्रभारी पर्यवेक्षक द्वारा से बताई गई अवधि के लिये कार्य से दूर रहने की अनुमति प्रदान की गई हो।
   b अनाधिकृत अनुपस्थिति या कार्य का रोक दिया जाना को निरन्तर नियोजन में व्यवधान माना जायेगा।

iii सांवधिक अध्यादेश व एच.ओ.ई.आर. के अन्तर्गत दिये गये विश्राम के दिन और जहाँ एवजी कार्यरत है वह स्थापना बन्द हो, ऐसी अवधि की 20 दिन की प्राधिकृत अनृपस्थिति की सीमा की गणना में नहीं लिया जायेगा।

   नोट :– एवजी द्वारा बिना व्यवधान के की गई अस्थायी ओहदा प्राप्त पूर्ण सेवा को पेंशनरी लाभ व के MACPS अन्तर्गत 10 /20 /30 वर्ष की न्यूनतम सेवा गणना हेतु लिया जायेगा। (RBE No.:36/10)

8. सेवा रजिस्टर : भर्ती की इकाई, जैसे मण्डल, कारखाना इत्यादि को सवा रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें सभी एवजी के नाम दर्ज हो, चाहे उन्हें कभी भी नियोजित किया जायें। इनके नाम उनके मूल नियोजन की तिथि के आधार पर ठीक–ठीक इन्द्राज किये जाने चाहिये।

बंगला चपरासी

बंगला चपरासी /खलासी एक विशेष श्रेणी है जो न तो नैमितिक श्रमिक और न ही एवजी के रूप में आती है तथा उनकी सेवा शर्तें, 120 दिन की लगातार सेवाओं को पूर्ण करने के बाद जब तक वे अस्थाई ओहदा प्राप्त करते है, जब तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ समय–समय पर जारी प्रशासनिक आदेशों के अधीन होती है।

बंगला खलासी /चपरासी के कार्य : (NRPS 10960)

रेलवे में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान तथा उच्च अधिकारी अपने निवास पर बंगला चपरासी की सेवायें लेने के पात्र है ताकि उनके निवास स्थान पर रेल कार्यों के अलावा पैदा होने वाले सरकारी कार्य को पूरा किया जा सके। बंगला चपरासी को विशेष तौर पर निम्नलिखित कार्यों के लिये लगाया जायेगाः–

1. अधिकारी (जिसके अधीन वह कार्यरत है) के निवास स्थान से ऑफिस फाईलें /डाक लेकर जाना
2. अधिकारी के बंगले पर आये प्रशासनिक टेलीफोन कॉल्स को सुनना
3. अधिकारियों को आवश्यक संदेशों को देना
4. अल्प सूचना पर अधिकारी के साथ यात्रा पर जाना
5. दुर्घटना के मामले में तार संदेशों को ले जाना
6. अधिकारियों के कागजात ऑफिस से बंगले से जाना तथा अगले दिन पुनः ऑफिस लाना।
7. प्रशासनिक कार्य में सहायता और मदद के लिये सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य कोई भी कार्य।

हकदारी : उपलब्ध स्थाई या वर्क चार्जड् रिक्त पदो ंके विरूद्ध कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को बंगला खलासी रखने की अनुमति दी जायेगी बशर्त कि उनकी सेवानिवृति में एक से अधिक वर्ष शेष हो।

नियुक्ति के लिये सक्षम प्राधिकारी : [(GM/NWR L.No.:E/110/615/2(B.K.) dt.0.06.04, 07.07.04 & 885E1/H.Q./(B.K.)/Policy dt. 14.02.08]

नये चेहरों को एवजी बंगला चपरासी /खलासी में नियुक्ति के लिये महाप्रबन्धक का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। उनको ग्रुप ''डी'' पदों की भर्ती हेतु निर्धारित आयु शैक्षणिक योग्यता आदि को पूरा करना आवश्यक है। भर्ती के समय अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण–पत्रों को अवश्य देख लेना चाहिये। (रेलवे बोर्ड के पत्र दिं. 09.12.11 (आरबीई 166 /11) द्वारा शैक्षणिक योग्यता में दी गई छूट बंगला चपरासी /TADK पर लागू नहीं होगी। (RBE 128/13) (NRPS 11621/98)

केवल उन्हीं कार्य प्रभारित पदों पर बंगला खलासी को लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, यदि वह कार्य प्रभारित पद न्यूनतम एक वर्ष तक की अवधि के लिये उपलब्ध हो।

उन मामलों में जहाँ एवजी बंगला चपरासी /खलासी के रूप में नियुक्ति किसी अधिकारी विशेष के लिये की गई थी तथा बाद में उसे किसी अन्य अधिकारी के पास लगाया जाना है तो मुख्य कार्मिक अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है।

एवजी बंगला चपरासी /खलासी (इनमें वे भी सम्मिलित है जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी) की तीन वर्ष की सेवा से पूर्व पद बदली हेतु महाप्रबन्धक का पूर्व व्यक्तिगत अनुमोदन आवश्यक होगा जबकि तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात पद परिवर्तन हेतु मुख्य कार्मिक अधिकारी का पूर्व अनुमोदन का आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.02.14 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि बंगला खलासी /TADK की पद बदली वर्तमान तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष बाद ही हो सकेगी। साथ ही यह भी निर्णित किया गया है कि रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर व समकक्ष अधिकारी उनके TADK की पद बदली पश्चात नये चेहरे को TADK के रूप में रख सकेगें। [RBd.'s Lt. No.: 2013 ERB-5/22 (4) /1 dt. 21.02.14 (NWR PS 26/14)]

सेवा शर्तें : [NRPS10960 & GM/NWR LNo.E/110/615/2BK)dt.0.6.04/7.7.04 & 885E1/HQ/(B.K.)/Policy dt.14.2.08)

जिस व्यक्ति को बंगला चपरासी नियुक्त किया जाये वह भरोसे का /विश्वासनीय /आज्ञाकारी होना चाहिये। संवेदनशील प्रकृति कार्य होने के कारण उस अधिकारी के प्रति भी उसको पूर्ण विश्वास पात्र होना चाहिये। प्रत्येक पात्र अधिकारी अपने सेवा काल में केवल एक बार अपनी पसन्द के व्यक्ति को लगाने हेतु अपने विकल्प

का इस्तेमाल कर सकते है। जिस व्यक्ति को बंगला चपरासी लगाया जाता है, वह अपनी सहमति लिखित में देगा और अन्य कोई सम्भावना जैसे उसकी अस्वीकृति या वह अपात्र पाया जाता /जाती है या उसका कार्य संतोषजनक नहीं है तो, उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। बंगला चपरासी की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर है। उसको प्रारम्भिक नियुक्ति तीन माह तक के लिये होगी। प्रारम्भिक तीन माह के बाद प्रत्येक तीन माह की अलग से अवधि को बढ़ाने की स्वीकृति मण्डल पर अपर मण्डल रेल प्रबन्धक या प्रधान कार्यालय में नामित उप महाप्रबन्धक (जी) द्वारा दी जायेगी।

नियुक्ति देने से पहले नवनियुक्त बंगला खलासी से उनकी वचनबद्धता ले लेनी चाहिये कि वे उस रेलवे में किसी भी स्थान /पद पर स्थानान्तरित किये जा सकते हैं, या उस रेलवे पर किसी भी अधिकारी के साथ बंगला खलासी के रूप में कार्य लिया जायेगा, जब तक कि प्रथम नियुक्ति से तीन साल की सेवा पूरी न हो जाये।

अस्थायी ओहदा : बंगला चपरासी /खलासी में लगातार 120 दिनों की सेवा के बाद, उस व्यक्ति को अस्थाई ओहदा दे दिया जायेगा।

चिकित्सीय परीक्षाः [NRPS11880 & GM/NWR L.No. 885E/1/HQ(BK)/Policy dt. 14.11.07, 13.12.07 & 01.08.13)

यद्यपि, बंगला खलासी के लिये चिकित्सा कोटि सी–2 है लेकिन नियुक्ति के समय उसको बी–ा मेडिकल कोटि या उससे ऊपर मेडिकल कोटि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है ताकि कालान्तर में उसको फील्ड में ट्रेकमेन, पॉइण्टसमेन आदि पदों पर समाहित किया जा सके। यदि वह बी–ा चिकित्सा कोटे के अयोग्य होता है तो उसे बंगला चपरासी /खलासी के पद पर नहीं लगाया जायेगा।

नियमितीकरण : (NRPS 11506, 11807)

नियुक्ति तिथि से लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद (अनुपस्थिति अवधि को छोड़कर) बंगला खलासी /चपरासी ग्रुप ''डी'' की रिक्तियाँ (स्क्रिनिंग के बाद) के विरूद्ध समाहित करने के लिये विचार किया जायेगा। महाप्रबन्धक की पूर्व व व्यक्तिगत अनुमति से बंगला चपरासी /खलासी को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पहले नियमित किया जा सकता है। [GM/NWR L.No. E/110/615/2 (B.K.) dt. 00.06.04, 07.07.04)

कोटि में परिवर्तन :

तीन वर्ष की सेवा में पूर्व एवजी बंगला चपरासी /खलासी (स्क्रीनिंग किये हुये सहित) को महाप्रबन्धक की पूर्वी व्यक्तिगत अनुमोदन से कोटि में कोई भी परिवर्तन किया जा सकेगा। तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ऐसी ही परिवर्तन उसके आवेदन करने पर या जिस अधिकारी के साथ वह कार्य कर रहा है उसकी संस्तुति से मुख्य कार्मिक अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को नये एवजी बंगला खलासी को रखने की अनुमति दी जायेगी। यद्यपि ऐसा परिवर्तन प्रशासनिक हित में किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.02.2014 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि बंगला खलासी / TADK की पद बदली वर्तमान तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष बाद ही हो सकेगी। साथ ही यह भी निर्णित किया गया हैं कि रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर व समकक्ष अधिकारी उनके TADK की पद बदली पश्चात नये चेहरे को TADK के रूप में रख सकेगें।

[RBd LNo.2013ERB-5/22(4)1 dt.21.2.14(NWR PS 26A/14)] [GM/NWR LNo.885E1/HQ(BK)/Pol dt.14.2.08 & 23.9.08]

अन्य शर्तें

1. यदि एक अधिकारी उसी रेलवे में स्थानान्तरित हो जाता है जब उसे नये बंगला खलासी को रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे मामलों में बंगला खलासी को उस नई इकाई में स्थानान्तरित करना होगा।
2. बंगला खलासी को अस्थाई ओहदा देने से पहले यदि अधिकारी स्थानान्तरित हो जाता है तो, बंगला खलासी की सेवायें एक माह के नोटिस के बदले में एक माह के वेतन के साथ समाप्त कर दी जायेगी। अन्यथा अन्य अधिकारी उस बंगला खलासी की सेवाओं का उपयोग उसी क्षमतानुरूप बंगला खलासी की इच्छा से कर सकेगें।
3. यदि एक अधिकारी का स्थानान्तरण सम्बन्धित रेलवे से अन्य रेलवे पर हो जाता है तो उस बंगला खलासी का स्थानान्तरण भी उसी स्थान पर, जहाँ अधिकारी का पदस्थापन होता है, कर किया जायेगा, यदि वह अधिकारी के साथ जाने की स्वीकृति देता है तो। ऐसे में उस अधिकारी की इच्छा का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है।

4. इसी प्रकार कोई अधिकारी अन्य रेलवे से सम्बन्धित रेलवे में कार्यग्रहण करता है तो सम्बन्धित रेलवे पर पूर्व बंगला खलासी को बंगला खलासी के रूप में स्वीकार करना होगा यदि वह सम्बन्धित रेलवे में स्थानान्तरण पर अपनी स्वीकृति दे तो। अन्यथा उस अधिकारी को अन्य बंगला खलासी लेने की स्वीकृति दी जायेगी।
5. बंगला खलासी का, बंगला खलासी के रूप में अन्य इकाई में स्थानान्तरण हो जाने पर पूर्व में की गई सेवा के लाभ का हकदार होगा।
6. नियमितीकरण के समय बंगला खलासी का उसके पद /इकाई के साथ लीयन निर्धारित किया जायेगा। अनुपस्थिति की अवधि को छोड़कर, तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें नियमित करने हेतु स्क्रीनिंग की जायेगी।
7. बंगला चपरासी जिसको अधिकारी के स्थानान्तरण /सेवानिवृति के कारण कार्यमुक्त किया जाता है और वह अन्य किसी अधिकारी के द्वारा बंगला चपरासी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो समूह ''घ'' में अन्य उपयुक्त पद में पदस्थापना के लिये उन्हें कार्मिक शाखा में रिपोर्ट करना होगा। इस प्रकार के मामले में उसकी कोटि परिवर्तन के लिये किसी उच्चाधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
8. उपरोक्त नियमों /प्रक्रिया में किसी भी अपवाद के लिये सम्बन्धित रेलवे के महाप्रबन्धक से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

वेतन का भुगतान : (N.R.P.S. 10960)

बंगला चपरासी को स्थाई /वर्क चार्जड् पदो ंके विरूद्ध नियुक्त किया जाता है तदनुसार उन्हें भारत की संचित निधि से वेतन भुगतान किया जाता है।

HOER के तहत बंगला चपरासी का वर्गीकरण : बंगला चपरासी का मूलतः सविराम (ई.आई.) वर्गीकरण व विभाजित वाला ड्यूटी रोस्टर दिया जायेगा जो कि 06:00 बजे से 12:00 बजे तथा 16:00 बजे से 22:00 बजे तक का होगा और उनको साप्ताहिक विश्राम दिया जाना चाहिये।

सम्बन्धित अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि बंगला चपरासी के मामले में वे का पालन करेगें।

[RBd's L.No. 2014/E(LL)HER/1 dt. 01.09.14)NWRPS 17A/14] (N.R.P.S. 10960)

सेवा की बर्खास्तगी :

i. 120 दिन लगातार सेवा पूरी करने के बाद बंगला खलासी को अस्थाई ओहदा दिया जायेगा। अन्यथा इस अवधि के दौरान उसके नियंत्रित अधिकारी से उसकी असंतुष्ट कार्य की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह के नोटिस के एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त कर दी जायेगी।
ii. नियुक्त बंगला चपरासी यदि लिखित में बंगला चपरासी पद पर कार्य करने की अस्वीकृति देता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
iii. बंगला खलासी, जिसे अस्थाई ओहदा दिया गया है, केवल डी.ए.आर. प्रक्रिया के बाद ही हटाया जा सकता है।

नये टेलीफोन अटेण्डेण्ट सह डाक खलासी की नियुक्ति (TADK) :

रेलवे बोर्ड के निदेशक तथा इसके समकक्ष अधिकारियों को नये TADK रखने की अनुमति होगी। वहाँ वे अपने साथ TADK उस मामले में ले जा सकेगें जब उनका पदस्थापन रेलवे प्रणाली में ही अन्यत्र हो जाये तथा TADK को रखने के पात्र हो। नये TADK की सुविधा केवल उन अधिकारियों को प्रदान की जायेगी जिन्होंने पूर्व में TADK की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यदि अधिकारी रेलवे में निदेशक या इसके ऊपर के पद पर पदस्थापित है तब वे अधिकारी के साथ जायेगें।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.02.2014 द्वारा यह निर्णित किया गया है कि बंगला खलासी / TADK की पद बदली वर्तमान तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष बाद ही हो सकेगी। साथ ही यह भी निर्णित किया गया हैं कि रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर व समकक्ष अधिकारी उनके TADK की पद बदली पश्चात नये चेहरे को TADK के रूप में रख सकेगें। [RBd.s Lt.:2013ERB-5/22(4)/1 dt. 21.02.14 (NWR PS 26A/14)]